



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक:रू.वि./गोप./प्रयो.मौ./2021-22/ 3020

दिनांक:-10.11.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय:- वर्ष 2022 की प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षाओं (स्नातक, स्नातकोत्तर, इत्यादि) हेतु आन्तरिक परीक्षकों के नाम प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली समस्त कक्षा/विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आन्तरिक परीक्षकों की सूची 25.11.2021 तक प्रेषित करने का कष्ट करें। ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा पूर्व में निर्धारित समयानुसार उनके महाविद्यालय में आन्तरिक परीक्षकों के नाम नियुक्त करने हेतु अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किये गये हैं, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होंगे एवं अन्य अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों से नाम उपलब्ध कराये जायेंगे।

वर्ष 2022 की प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षाएँ पूर्व की भाँति अनुक्रमांकों के क्रम में 120 छात्रों के बैच बनाकर करायी जानी है। प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षा हेतु बनने वाले बैचों की संख्या (वर्तमान में प्रवेशित छात्र संख्या के आधार पर) एवं आन्तरिक परीक्षकों के नाम वरीयता चक्राक्रमानुसार प्रस्तावित कर दिनांक 25.11.2021 तक अवश्य प्रेषित करें, अतिरिक्त बैचों की सूची पृथक से यथासमय भेजी जाय। वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों की एक संकलित सूची प्राचार्यों को भेजी जायेगी। प्राचार्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह परीक्षक सूची में अंकित बाह्य परीक्षकों को पंजीकृत डॉक से तथा आन्तरिक परीक्षकों को पत्र में अंकित मोबाइल न0 द्वारा विधिवत् सूचित करें। नियुक्त परीक्षक के न आने पर/असमर्थता प्रकट करने पर विश्वविद्यालय से नया परीक्षक मांगा जायेगा। यदि महाविद्यालय बिना अनुमति के अपने स्तर पर किसी अन्य परीक्षक से परीक्षा सम्पन्न कराने का प्रयास करेगा तो ऐसे अंक विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होंगे। प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षकों की नियुक्ति हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव नियमित शिक्षक के रूप में आवश्यक है।

1. शिक्षा निदेशक द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त तथा अनुदानित महाविद्यालयों में मानदेय पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों जिनकी नियुक्ति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप हों, निरन्तर 03 वर्षों का स्नातक स्तरीय अध्यापन अनुभव रखते हों तथा वर्तमान में भी शिक्षण कार्य कर रहे हों, सरकारी कोष से वेतन दिया जा रहा हो- को भी परीक्षकत्व दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उपर्युक्त अर्हताधारी संविदा/मानदेय शिक्षकों के नाम भी आन्तरिक परीक्षक के रूप में संस्तुत किये जायें।
2. सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुनः नियुक्त मानदेय शिक्षकों के नाम इसमें शामिल न किये जायें।
3. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में अर्ह परीक्षक उपलब्ध न होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा अर्ह आन्तरिक परीक्षक अनुदानित/राजकीय महाविद्यालयों से नियुक्त किये जायेंगे। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के नाम अपने ही महाविद्यालय में गत वर्ष की भाँति आन्तरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या केवल कक्षा/विषय/बैच की ही सूचना निर्धारित प्रारूप पर दें। अनुदानित महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत संचालित हैं, उनमें आन्तरिक परीक्षकों के नामों की संस्तुतियाँ अन्य अनुदानित महाविद्यालयों से न की जायें। केवल कक्षा/विषय/बैच की ही सूचना निर्धारित प्रारूप पर दी जाये। अर्ह आन्तरिक परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

कमश.....?

(02)

कृपया उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित आन्तरिक परीक्षकों के बैच-वाइज नाम निम्नांकित प्रारूप पर परीक्षा नियंत्रक म.ज्यो.फु.रु.वि.वि. बरेली के पास हार्ड कापी यथा शीघ्र (दिनांक 25.11.2021 तक) सील्ड लिफाफे में प्रेषित करें।

प्रारूप
प्रायोगात्मक/मौखिकी परीक्षा 2022 हेतु आन्तरिक परीक्षकों के नाम


कक्षा	विषय	बैच (एक बैच में अधिकतम 120 छात्र ही मान्य)	चक्रानुक्रमानुसार आन्तरिक परीक्षक का नाम	निर्यात शिक्षक के रूप में अध्यापन अनुभव के कुल वर्ष

सधन्यवाद

भवदीय


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि- श्री रविन्द्र गौतम, प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


परीक्षा नियंत्रक